न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/55/2021	2021/101	16.07.2021	23.04.2024

1. अशोक कुमार पुत्र भगवान सहाय, उम्र करीब 28 साल, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।
2. पूरण पुत्र रामपाल, उम्र करीब 55 साल, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।
3. सीताराम पुत्र भगवान सहाय, उम्र करीब 45 साल, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।
4. निर्मला पत्नी रतनलाल, उम्र करीब 40 साल, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।
5. लल्लूराम पुत्र टुण्डाराम, उम्र करीब 32 साल, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।
6. श्रीमती रजनी पत्नी श्री पप्पू, उम्र करीब 45 साल, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार टहला जिला अलवर।
2. देशराज पुत्र श्री रामसिंह, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।
3. पूरणमल पुत्र श्री रामसिंह, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम कुण्डला, तहसील राजगढ, उप तहसील टहला, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.03.2021 नायब तहसीलदार टहला प्रकरण संख्या 22/2021।

उपस्थितः—
01.श्री आनन्द सिंह —वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री राजीव भार्गव —वकील रेस्पो0 सं0 2 व 3

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 15.03.2021 प्रकरण संख्या 22/2021 जिसके द्वारा संवत 2077 में ग्राम कूण्डला की आराजी खसरा न0 393 रकबा 0.77 है0 किस्म गै0मु0 पहाड में से अतिक्रमित रकवा 0.10 है0 पर वाड लगाकर अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही एवं 50 गुणा पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ग्राम कूण्डला ने एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार टहला के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें यह आक्षेप लगाया कि आराजी खसरा न0 393 रकबा 0.77 है0 किस्म गै0मु0 पहाड में से अतिक्रमित रकबा 0.10 है0 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने बाढ लगाकर बाड लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया एवं विचारण के बाद आदेश दिनांक 15.03.2021 के तहत उक्त अतिक्रमियों को उपरोक्त आराजी से बेदखल किये जाने एवं 0.20 रूपये का 50 गुणा यानि 10 रूपये वसूल किये जाने का आदेश अपीलान्ट्स के बाला बाला इकतरफा में पारित किया। चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलाट पक्षकार नही थे, जिस कारण अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी, जिसका सर्वप्रथम इल्म दिनांक 23.03.2021 को पटवारी हल्का द्वारा हुआ। जिसके बाद दिनांक 26.03.2021 को नकल प्राप्त की। तत्पश्चात लोक डाउन लग जाने के कारण अब कानूनी सलाह के पश्चात यह अपील बिना किसी देरी के पेश है, जो उपरोक्त प्रकार से अन्दर मियाद पेश है एवं उपरोक्त समय धारा 05 कानून मियाद के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सरसरी तौर पर महज साईक्लोस्टाईल रूप में सादिर फरमाया है, जो न्यायिक आदेश की तारीफ में नहीं आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जिस आराजी पर नाजायज कब्जा करते हुए अतिक्रमण किया गया है, वह गैर मुमकिन पहाड है, जिसमें हम अपीलान्ट्स व अन्य समस्त ग्राम वासीयान की मवेशियान चारा चरती है और छायादार वृक्षों के नीचे बैठकर विश्राम करती हैं एवं पहार का बरसाती पानी गांव में आता है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी पर बाढ लगाकर नाजायज कब्जा करने के कारण अपीलान्ट व ग्राम वासियान को भारी नुकसान होता है और हमारी मवेशियान के चारा चरने का कोई साधन नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2021 को सादिर फरमाया गया है, किन्तु अभी तक अतिक्रमियों को मौके से ना तो बेदखल किया गया है और ना ही उनके द्वारा लगाई गई बाढ को हटाया गया है। बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 जिनका राजनैतिक काफी प्रभाव है वो ऐलानिया तौर पर यह कहते है कि ऐसे आदेश तो रोज होते है मौके से हमें कोई बेदखल नही कर सकता। चूंकि जिस आराजी पर नाजायज कब्जा किया गया है, वह गैर मुमकिन पहाड है एवं इस किस्म की आराजी विनियमन भी नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी आज तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया गया है, जिस कारण यह अपील पेश है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स पक्षकार नही थे, किन्तु चूंकि विवादित आराजी में अपीलान्ट्स के हक निहित है और अपीलान्ट की मवेशियान चारा चरती है जिस कारण यह अपील अपीलान्ट्स के द्वारा राज्य हित में प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी इजाजत सादिर फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीदार टहला तहसील राजगढ दिनांक 15.03.2021 को संसोधित फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के खिलाफ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सख्त आदेश पारित किया जावे एवं उनको तुरन्त मौके से बेदखल किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 प्रकरण संख्या 22/2021 उनवान पटवारी हल्का कूण्डला बनाम देशरा, पूर्णमल सिंह, रामसिंह मीना में पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार टहला पेश हुई। गैरसायल उप0/अनु0 जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का सं. 2077 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है। अतः आदेश है कि गैरसायल देशराज, पूर्णमल पुत्र रामसिंह जाति मीणा निवासी कूण्डला को आराजी खसरा नं0 393 रकबा 0.10 किस्म गैरमुमकिन पहाड वाके ग्राम कूण्डला से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 0.20 की 50 गुणा में मु. 10/– कायमी कराई जावे टीआरए व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावे। फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का कूण्डला की रिपोर्ट दिनांक 14.01.2021 संवत 2077 में ग्राम कूण्डला की आराजी खसरा न0 393 रकबा 0.77 है0 किस्म गै0मु0 पहाड में से रकबा 0.10 है0 पर बाड लगाकर अतिक्रमण करना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01.03. 2021 की तामील के बाबजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया । पत्रावली पर आये दस्तावेज एवं तथ्यों से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 15.03.2021 विधिसम्मत है। अपील इस आशय की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की भौतिक रूप से पालना नहीं कराई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टहला को निर्देश दिये जाते हैं कि आपके न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 की विधिवत पालना हेतु नियमों के परिप्रेक्ष्य में इजराय पत्रावली खोलकर निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)